संख्या-सम्ब0-168/सत्तर-2-2009-2(345)/2009

प्रेषक,

इन्द्रदेव पटेल,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय,
बरेली।

उच्च शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ:दिनांक: 30 सितम्बर, 2009

विषय:- महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक:रू0वि0/सम्ब0/2009/2875-76, दिनांक 02-06-2009 एवं पत्रांक:रू0वि0/सम्ब0/2009-10, दिनांक 09-07-2008 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन यूनिक कालेज ऑफ लॉ, धनपुरा, मुरादाबाद को एल0एल0बी0 (त्रिवर्षीय एवं पंचवर्षीय) पाठ्यक्रम में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01-07-2009 से क्रमशः आगामी तीन वर्ष एवं पॉच वर्ष हेतु सशर्त सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है:-

(1) महाविद्यालय द्वारा बार काउंसिल ऑफ इण्डिया की मान्यता प्राप्त करने के पश्चात् ही छात्रों को प्रवेश प्रदान किया जायेगा तथा बार काउंसिल ऑफ इण्डिया द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन किया जायेगा।

(2) संस्था द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा मूल अधिनियम, 1973 की धारा-37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।

(3) संस्थान/महाविद्यालय प्रपत्र 'बी' मे अंकित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।

(4) संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 एवं शासनादेश संख्या-4108/सत्तर-2-2007-2(494)/2007, दिनांक 17 अक्टूबर, 2007 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।

..2/-

(5) यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,

(इन्द्रदेव पटेल)
अनु सचिव।

संख्या-सम्ब0-168(1)/सत्तर-2-2009-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) सचिव, बार काउंसिल ऑफ इण्डिया, 21, राउज एवेन्यू, इन्स्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली-2
(2) निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(3) क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली।
(4) सचिव/प्रबन्धक, यूनिक कालेज ऑफ लॉ, धनपुरा, मुरादाबाद।
(5) निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री।
(6) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(इन्द्रदेव पटेल)
अनु सचिव।